सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 24, मंगलवार, शाके 1944-जून 14, 2022
Jyaistha 24, Tuesday , Saka 1944- June 14, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2022

संख्या: 93/भू.अ./ज.स./**2015/1297-1300:-** चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फॉर वाटर तालाब ढोंगियों की सैर के निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

फॉर वाटर तालाब के अन्तर्गत ढोंगियों की सैर में अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 कीधारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बांसवाड़ा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1.	फॉर वॉटर तालाब के अन्तर्गत ढोंगियों की सैर	ढोंगियों की सैर	सल्लोपाट	गांगड़तलाई	बांसवाडा	बागीदौरा

फॉर्म 2

(नियम -5)

पार्ट - बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

क	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	फॉर वॉटर तालाब के अन्तर्गत ढोंगियों की सैर ग्राम पंचायत सल्लोपाट तहसील गांगड़तलाई, जिला - बांसवाड़ा योजना के अतंर्गत 7.62 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनि सुनवाई / सुनवाईया भी दे।	(1) परामर्श (2)सर्वेक्षण (3)सार्वजनिक जन सुनवाई
ग	यदि ग्राम सभा और / या भू स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अंतर्गत लागू नहीं है
घ	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया वह समय के अनुसार
ड	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हां
च	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा में उपलब्ध

कृष्ण मोहन जायसवाल,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।